



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म व एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व ₹40,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 1171/2015 धारा- 376 भा०द०सं० व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. बलवीर निषाद पुत्र शिवप्रसाद निषाद नि० कालपी चौराहा गौरा देवी थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन सश्रम कारावास व ₹40,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
विशेष लोक अभियोजक
श्री विजय सिंह



विवेचक-
सीओ सीताराम



पैरोकार- थाना
कोतवाली नगर
का० बिजमान सिंह